सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-1153/JH/23/2023-SSW Dated: 16/07/2024

To,

डॉ. पवन कुमार पोद्दार,
उप-कुलपति,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय,
पो - नागनागर,
धनबाद, (झारखंड) - 826004
(Email Id: vc@bbmku.ac.in)

Sub: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को लॉ कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रताडित करने के संबंध मे - श्री बिरेन्द्र हंसदा, सफाई कर्मी, लॉ कॉलेज, धनबाद (झारखंड) का दिनांक 17.06.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.06.2024 at 11:00 AM in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject for information.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(R.K. Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

श्री बिरेन्द्र हाँसदा,
ग्राम व पोस्ट - दामोदरपूर,
जिला - धनबाद, (झारखंड) - 826004

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री बिरेन्द्र हंसदा, सफाई कर्मी, लॉ कॉलेज, धनबाद (झारखंड) को कॉलेज प्रशासन द्वारा DA तथा वेतन वृद्धि नहीं किए जाने के संबंध में – डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 11:00 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या : NCST/SER-1153/JH/23/2023-SSW

बैठक की तिथि : 14.06.2024 को 11.00 बजे

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक पर है; स्थान: होटल BNR चाणक्य, रांची।

श्री बिरेन्द्र हंसदा, सफाई कर्मी, लॉ कॉलेज, धनबाद, झारखंड ने अभ्यावेदन दिनांक 17.06.2023 में बताया कि बिनोद बिहारी महतो लॉ कॉलेज में मार्च 2020 से लगातार पूर्णकालिक रूप से कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रशासन द्वारा डी.ए. (Dearness Allowance) तथा वेतन वृद्धि में अन्य कर्मचारियों से अलग दृष्टि कोण अपनाया जा रहा है। संविदा पर काम कर रहे बाकी कर्मचारियों को 30% वेतन वृद्धि दी गयी पर आवेदक को नहीं दिया गया, जिससे आर्थिक हानि हो रही है। प्रभारी प्राचार्य, श्री कमल किशोर पाठक ने 17.06.2023 को आवेदक को अपने कमरे मे बुलाकर धमकी भी दी तथा अपना शिकायत वापस लेने को कहा ।

आयोग ने सम-संख्यक नोटिस दिनांक 15.12.2023 के द्वारा कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से तथ्य तथा आख्या हेतु भेजने का आग्रह किया, परंतु विश्वविद्यालय से रिपोर्ट अप्राप्त थी। NCST ने इस प्रकरण पर 14.06.2024 को 11:00 बजे, रांची में कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, पो - नागनागर, धनबाद (झारखंड) और आवेदक के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया जिसकी सूचना संम्बंधित अधिकारी तथा आवेदक को सम-संख्यक सिटिंग नोटिस एंव पत्र दिनांक 04.06.2024 द्वारा भेजी गई थी।

बैठक में कुलपति (प्रभारी), बिनोद बिहारी महतो लाँ कॉलेज एवं आवेदक उपस्थित थे। आवेदक ने अपने पक्ष में बताया की बिनोद बिहारी महतो लॉ कॉलेज के प्रशासन द्वारा उन्हें न्यूनतम वेतन मान के तहत वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है एवं विगत 4 वर्षों में भी उनके वेतन मे कोई वृद्धि नहीं हुई है। कुलपति (प्रभारी), बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत किए एवं लिखित रूप से आश्वशन दिया की वह आयोग के सभी दिशानिर्देशों का अविलंब पालन करेंगे।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने निम्न संस्तुतियाँ की तथा कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय को सलाह दी की संस्तुतियों पर की गयी/की जाने वाली कार्यवाई रिपोर्ट एक माह के भीतर, आयोग को प्रस्तुत करें। इसके बाद आयोग आगे की कार्यवाई सुनिश्चित करेगा।

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार, आवेदक को विगत वर्षों का वेतन नियमानुसार प्रदान किया जाए।
2. विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए जैसा की NCST ने अगस्त 2021 मे सभी विभागो एवं राज्यों को सलाह दी थी। (प्रति संलग्न)
3. विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय/कॉलेज में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण से संबन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रति वर्ष निर्धारित अवधि में बैठकें आयोजित की जाए।

आशा लकड़ा
12/07/2024

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

List of participants of the sitting held on 14.06.2024 at 11:00 P.M under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST in the case of श्री बिरेन्द्र हंसदा, सफाई कर्मी लॉ कॉलेज, धनबाद (झारखंड) – अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को लॉ कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रताडित करने के संबंध में।

I.	उप कुलपति-बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविदयालय, धनबाद (झारखंड)
	Shri Pawan Kumar Poddar, VC
II.	**Petitioner**
	बिरेन्द्र हंसदा